अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/स्थायी निर्देश

उत्तर प्रदेश पी.ए.सी. मुख्यालय, लखनऊ।

महानगर लखनऊ–226006

संख्याःपी.ए.सी.–I–निर्देश–2013 दिनांकःलखनऊःसितम्बर 20 2013

स्थायी आदेश संख्याः 05/2013

सेवा में,

समस्त सेनानायक,
पीएसी वाहिनी, उ0प्र0।

कृपया इस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्याः 2/2013 दिनांक 14.09.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें पीएसी के अराजपत्रित कर्मियों के सेवा/स्थानान्तरण सम्बन्धी मामलों के निस्तारण की प्रकिया निर्धारित की गई है। इस स्थायी आदेश में दिये गये निर्देशों के बाबजूद कुछ पीएसी कर्मियों के स्थानान्तरण व सेवा संबंधी मामलों में कर्मियों के परिवारीजनों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र विभिन्न माध्यमों से व मुख्यालय को सीधे प्राप्त हुये है।

2– भूत में ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें कर्मी की इच्छा के विरूद्व परिजनों द्वारा स्थानान्तरण निवेदित गये हैं। कर्मी के स्वयं के प्रार्थना पत्र वाहिनी के माध्यम से न आने पर यह सम्भावना बनी रहती है कि कर्मी की असहमति पर भी परिवारीजन या अन्य व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिस पर निवेदित कार्यवाही होने पर वास्तव में कर्मचारी का अनहित हो सकता है। अतः यदि किसी कर्मी के संज्ञान में हो कि उसके परिवारीजन ने प्रार्थना पत्र दिया है और यदि वह उससे सहमत है तो स्वहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र वाहिनी के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें, जिससे उसके हित की रक्षा की जा सके।

3– सेनानायक कृपया सुनिश्चित करें कि उक्त आदेश के अनुसार यदि कोई कर्मी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो एक सप्ताह के अन्दर उसका प्रार्थना पत्र, टिप्पणी व सेवा विवरण जो पी0एन0ओ0 से मुद्रित किया गया हो, इस मुख्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाये।

19/9/2013

(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ0प्र0।